न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–478/2021

निरंजन विश्वास..वादी

बनाम

चंदू विश्वास एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
21.07.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की तरफ से एक आवेदन दिनांक 29.05.2025 को दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 21.07.2025 को आदेश हेतु नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा दिनांक 04.02.2025 को वितरण खतियान कि सच्ची प्रतिलिपी वो बयनामा दस्तावेज दिनांक 01.09.1997 कि सच्ची प्रतिलिपी दाखिल की गई है तथा साथ ही आदेश 13 नियम 01 और 02 व्यवहार प्रक्रिया संहिता वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम दफा 74 वो 77 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र दाखिल कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त दोनों कागजातों को विलंब माफ कर ग्रहण करते हुए वादी कि ओर से प्रदर्श करने का आदेश देने की कृपा प्रदान किया जाए। श्रीमान् के द्वारा वादी का आवेदन दिनांक 04.2.2025 पर सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 04.04.2025 के द्वारा विलंब माफ कर ग्रहण करने का आदेश दिया गया है परन्तु प्रदर्श करने का आदेश होना छुट गया है। वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 04.02.2025 का अंश इस आवेदन को स्वीकार कर दोनों किता कागजात को वादी कि ओर से प्रदर्श अंकित करने का आदेश देने की कृपा प्रदान कि जाए ताकि अग्रतर कार्यवाही हो सके। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि बारवा काला शरणार्थी का वितरण खतियान बनाम नित्यानंद विश्वास वो बयनामा दस्तावेज दिनांक 01.09.1997 नित्यानंद विश्वास बनाम आजुल गद्दी कि सच्ची प्रतिलिपी को वादी की ओर से प्रदर्श अंकित करने का आदेश देने की कृपा प्रदान की जाए। प्रतिवादीगण की ओर से कोई प्रत्युतर नहीं दिया गया लेकिन वादी के आवेदन दिनांक 29.05.2025 का मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया तथा अभिलेख अवलोकन से विदित होता है वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 29.05.2025 को दाखिल किया गया है तथा निवेदन किया गया है कि वादी द्वारा दिनांक 04.02.2025 को वितरण खतियान कि सच्ची प्रतिलिपी वो बयनामा दस्तावेज दिनांक	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–478/2021

निरंजन विश्वास..वादी

बनाम

चंदू विश्वास एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **21.07.2025**	01.09.1997 कि सच्ची प्रतिलिपी दाखिल की गई है तथा साथ ही आदेश 13 नियम 01 और 02 व्यवहार प्रक्रिया संहिता वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम दफा 74 वो 77 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र दाखिल कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त दोनों कागजातों को विलंब माफ कर ग्रहण करते हुए वादी कि ओर से प्रदर्श करने का आदेश देने की कृपा प्रदान किया जाए। न्यायालय आदेश दिनांक 04.02.2025 के द्वारा विलंब माफ कर ग्रहण करने का आदेश दिया गया था परन्तु प्रदर्श करने का आदेश होना छुट गया है। बारवा काला शरणार्थी का वितरण खतियान बनाम नित्यानंद विश्वास वो बयनामा दस्तावेज दिनांक 01.09.1997 नित्यानंद विश्वास बनाम आजुल गद्दी कि सच्ची प्रतिलिपी को वादी की ओर से प्रदर्श अंकित करने का आदेश देने की कृपा प्रदान की जाए। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी का आवेदन न्यायसंगत है और इससे वादी की प्रकृति पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 29.05.2025 को स्वीकार किया जाता है एवं बारवा काला शरणार्थी का वितरण खतियान बनाम नित्यानंद विश्वास को प्रदर्श–5 वो बयनामा दस्तावेज दिनांक 01.09.1997 नित्यानंद विश्वास बनाम आजुल गद्दी कि सच्ची प्रतिलिपी को प्रदर्श–6 अंकित किया जाता है। वाद दिनांक 29.08.2025 को सुनवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	